



भारतीय न्याय संहिता, 2023

परलिमिंस के लिये:

[भारतीय न्याय संहिता, 2023](#), [भारतीय दंड संहिता \(IPC\)](#), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सर्वोच्च न्यायालय, [व्यभिचार](#), [राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड](#)।

मेन्स के लिये:

भारतीय न्याय संहिता, 2023, संशोधन, सरकारी नीतियों तथा विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप एवं उनके डिज़ाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

[स्रोत: हदुस्तान टाइम्स](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक संसदीय समिति ने [भारतीय न्याय संहिता \(BNS\), 2023](#) विधायक की समीक्षा की है, जिसमें [भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली](#) में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें [व्यभिचार को अपराध मानने वाले](#) [लगी-तटस्थ](#) प्रावधान तथा सफ़िराशियाँ शामिल हैं।

- गृह मंत्रालय द्वारा पेश किया गया BNS विधायक, [औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता \(IPC\)](#) के प्रावधानों को बदलने का प्रयास करता है।

BNS में प्रस्तावित परिवर्तनों की मुख्य विशेषताएँ:

- **व्यभिचार और लगी-तटस्थ प्रावधान:**
 - संसदीय समिति ने [व्यभिचार](#) को अपराध मानने वाले लगी-तटस्थ प्रावधान को शामिल करने की सफ़िराशि की है।
 - यह कदम [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) द्वारा **वर्ष 2018** में व्यभिचार को अपराध मानने वाली [भारतीय दंड संहिता \(IPC\)](#) की [धारा 497](#) को [असंवैधानिक](#) घोषित करने के बाद उठाया गया है।
 - पैनल लगी-तटस्थ तरीके से विवाह संस्था की रक्षा करना चाहता है।
- **बनिा सहमतिके शारीरिक संबंध स्थापति करना और पाशवकितता:**
 - यह समिति [पुरुषों, महिलाओं या ट्रांसपर्सन के बीच गैर-सहमतिके यौन संबंधों](#) के साथ-साथ पाशवकितता के कृत्यों को अपराध मानने के लिये एक खंड पर विचार कर रही है।
 - यह [यौन अपराधों के विभिन्न रूपों को व्यापक रूप से संबोधित करने के प्रयास को इंगति करती है।](#)
- **विभिन्न शब्दों की परिभाषा:**
 - समिति ने विधायक में ["सामुदायिक सेवा"](#) और ["आजीवन कारावास"](#) जैसे शब्दों के लिये बेहतर परिभाषाएँ सुझाई हैं।
- **सकारात्मक परिवर्तन:**
 - नए ड्राफ्ट कोड में [धारा 124A](#) (देशद्रोह) को हटाने और विदेशों में किये गए अपराधों पर मुकदमा चलाने के प्रावधान शामिल हैं।

व्यभिचार को वैध बनाने और अपराध घोषित करने के पक्ष में तर्क:

- **व्यभिचार को वैध बनाना**
 - **व्यक्तगत स्वायत्तता और गोपनीयता:** [जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ, 2018](#) के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने **व्यक्तगत स्वायत्तता एवं गोपनीयता के अधिकार के महत्त्व** को मान्यता दी।
 - व्यभिचार को वैध बनाना वयस्कों का राज्य के हस्तक्षेप के बनिा अपने व्यक्तगत संबंधों के बारे में नरिणय लेने के अधिकार को स्वीकार करता है।
 - न्यायालय ने कहा कि 158 वर्ष पुराना कानून असंवैधानिक है और [अनुच्छेद 21 \(जीवन एवं व्यक्तगत स्वतंत्रता का अधिकार\)](#) तथा [अनुच्छेद 14 \(समानता का अधिकार\)](#) का उल्लंघन करता है।

- **डॉक्टरनि ऑफ करवेचर: भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- IPC)** की धारा 497 कवरचर के सदिधांत पर आधारति है।
 - हालांकि यह संवधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है इस सदिधांत के अनुसार, वविह के बाद एक महिला अपनी पूरव पहचान और कानूनी अधिकार खो देती है, यह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
 - **मानवीय स्वतंत्रता:** सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, वविह का मतलब **एक की स्वायत्तता दूसरे को साँपना** नहीं है।
 - यौन विकल्प चुनने की कषमता **मानव स्वतंत्रता के लिये आवश्यक** है। यहाँ तक कि निजी कषेत्रों में भी किसी व्यक्ति को उसकी पसंद से संबंध बनाने की अनुमति दी जानी चाहिये।
 - सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि "समाज एक महिला पर असंभव गुण थोपता है, उसे ऊँचे पायदान पर खड़ा करता है तथा उसे एक दायरे में सीमति कर देता है, समाज उसे एक वस्तु की श्रेणी में रखता है और कहता है कि उसे पवतिर होना चाहिये। लेकिन उसी समाज को बलात्कार, ऑनर कलिगि, लगि-नरिधारण और शशु हत्या जैसे कृत्य करने में कोई हचिकचािहट नहीं होती।"
 - **नवारण प्रभाव:** वैधीकरण उन व्यक्तियों पर कानून के भयावह प्रभाव को खत्म कर सकता है जो वधिकि परणामों के डर के कारण **अपमानजनक या नाखुश वविह को छोड़ने के लिये अनचिछुक** हो जाते हैं।
 - यह मुक्त संचार और **वैवाहिक मुद्दों के समाधान** को प्रोत्साहति कर सकता है।
 - **न्यायकि बोझ को कम करना:** व्यभचार के मामले कानूनी व्यवस्था पर बोझ डालते थे। इसका वधिकरण कयि जाने से न्यायालय अधिके गंभीर मुद्दों और मामलों को नपिटाने के लिये स्वतंत्र हो सकते हैं।
- **व्यभचार को अपराध घोषति करना:**
- **वैवाहिक पवतिरता का संरक्षण:** व्यभचार वैवाहिक प्रथा को नुकसान पहुँचा सकता है, जिससे परिवार टूट सकते हैं और जीवनसाथी एवं बच्चों को भावनात्मक आघात लग सकता है। इसे अपराध घोषति करना वविह की पवतिरता की रक्षा करने के एक साधन के रूप में देखा जा सकता है।
 - **लगि संरक्षण:** यह तर्क दयाि जाता है कि व्यभचार को अपराध घोषति करना महिलाओं को बेवफा जीवनसाथी से बचाने का एक साधन है जो **अन्यथा उन्हें छोड़ सकते हैं**, जिससे वे आर्थिक रूप से कमजोर हो सकती हैं।
 - **नैतिक और सामाजिक मूल्य:** यह तर्क दयाि जाता है कि व्यभचार (Adultery) कानून **पारंपरिक नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों** को बरकरार रखता है, जो अभी भी भारतीय समाज में कई लोगों के लिये महत्वपूर्ण हैं।
 - व्यभचार को अपराध घोषति करने को पारिवारिक संरचना की सुरक्षा एवं संरक्षण के एक तरीके के रूप में देखा जा सकता है, जिससे समाज का मूलभूत नरिमाण खंड माना जाता है।

आगे की राह

- परिवारों और रशितों पर व्यभचार के प्रभाव के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने **सेव्यक्तियों को** अपने व्यक्तगित जीवन के बारे में **सूचति नरिणय लेने** में मदद मलि सकती है।
- मैरजि काउंसलगि के मामलों में जोड़ों को वविह परामर्श और मध्यस्थता के लिये प्रोत्साहति करना **व्यभचार के मुद्दों को हल करने के लिये एक सक्रयि दृष्टकिण** हो सकता है। ऐसी सेवाओं की उपलब्धता एवं पहुँच को बढ़ावा देना लाभप्रद हो सकता है।
- जोड़ों को न्यायालय प्रणाली के बाहर बेवफाई या वैवाहिक कलह से संबंधति मुद्दों को सुलझाने में मदद करने के लिये मध्यस्थता जैसे वैकल्पिक वविाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।